

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग


क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/अंकमिलान/801-1025 दिनांक 15/5/2020

परिपत्र

बजट नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा महालेखाकार कार्यालय के साथ आय एवं व्यय के आंकड़ों का एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से ऑनलाइन अंकमिलान करने के उद्देश्य से प्रक्रियाएँ वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 4(57)वित्त-1(1)आय व्यय/2015 दिनांक 24.02.2016 तथा वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र संख्या एफ.5(थ-75)डीटीए/अंकमिलान/2018/ 1956-2202 दिनांक 09.07.2019 से निर्धारित की गई है।

उक्त वर्णित प्रक्रियाओं के अनुक्रम में ही वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित ऑनलाइन अंकमिलान कार्य वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र दिनांक 05.09.2017 में निर्धारित समय-सारणीनुसार सम्पादित किया जाना समस्त बजट नियन्त्रण अधिकारियों/कोषाधिकारियों द्वारा आवश्यक है। इसके अन्तर्गत महालेखाकार कार्यालय में प्रेषित किए जाने वाले अंकमिलान मीमों/टी.वाई-65 आई.एफ.एम.एस. से ही तैयार किया जाना तथा प्रेषण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। मैन्यूअल रूप से तैयार किए गए अंकमिलान मीमों/टी.वाई.-65 मान्य नहीं होंगे।

इस संबंध में वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के पूर्व परिपत्र दिनांक 09.07.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया यथावत रहेगी।


(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

801-1025
15/5/20/20

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. महालेखाकार (लेखा एवं हक) /सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सिस्टम जनरेटेड अंकमिलान मीमों/टी.वाई.-65 ही स्वीकार किए जाये।
10. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।
11. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर को आई.डी. संख्या 271900176 दिनांक 15.05.2019 के क्रम में।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु।
14. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
15. कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडिफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
16. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर को आई.डी. संख्या 271900176 दिनांक 02.05.2019 के क्रम में।
17. श्री मनोज नागर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
18. श्री आई.डी. वरियानी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालय को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
19. श्री ललित गोयल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर
20. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
21. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, समस्त।

संयुक्त शासन सचिव

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

Website - dta.rajasthan.gov.in

e-mail Id- jdb-ta-rj@nic.in

Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752